No. EDN-HE(21)F(10)13/2021-Road Safety
Directorate of Higher Education
Himachal Pradesh, Shimla-1
Dated: Shimla-171001 the 18th May, 2022

To

All the Deputy Directors of Higher Education,
in Himachal Pradesh

Subject: - **Regarding safe transportation for school children.**

Attention is invited to this Directorate letter No. EDN-H(21)A(PS-16/2019-General Instructions dated 05-02-2020 **(Copy enclosed)** and in continuation to this Directorate letter of even number dated 17-03-2022, 13-04-2022, guidelines / instructions issued time to time to ensure the safety of school children during transit to and from to the school, it is directed to ensure following:

- The school authority shall ensure that the doors of the school buses shall remain shut while the bus / vehicle is in moving condition.
- School bus / vehicle plying school children halt only at within the marked area.
- School buses are not permitted to over-take vehicles while carrying the school children.
- Train the students to maintain discipline while boarding and de-boarding.
- Discuss the road safety measures in the PTA /SMC meetings.

In this regard directions may be issued to all the Head of Govt. and Private schools in your respective district for strict compliance.

TREAT IT MOST URGENT

Joint Director of Higher Education(C-II)
Himachal Pradesh, Shimla-1

Endst. No. Even dated Shimla -1 the 18th May, 2022
Copy to:-

1. The Director Transport, Himachal Pradesh Shimla-4 for information.
2. The Technical Officer, IT Cell of this Directorate with the direction to upload the same on the Departmental Website.
3. Guard File

Joint Director of Higher Education (C-II)
Himachal Pradesh, Shimla-1

संख्याः शिक्षा-एच(2)ए(1)पी.एस-16/2019-सामान्य निदेश
शिक्षा निदेशालय (उच्चतर)
हिमाचल प्रदेश।

दिनांक : शिमला 171001 जनवरी, 2020

समस्त उप निदेशक (उच्चतर शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश।

विषय: स्कूली बच्चों की सुरक्षा सम्बन्धी।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में आपका ध्यान इस निदेशालय के पत्र संख्याः शिक्षा एच(2)ए(1)पी.एस-16/2017-सामान्य निदेश-वोल-1 लूज दिनांक 11.09.2019 तथा समय-समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशो की ओर आकर्षित करते हुए सूचित किया जाता है कि स्कूली बच्चों की सूरक्षा को मध्यनजर रखते हुए देश के सर्वोच्च न्यायालय और प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशो का अनुपालना अपेक्षित है। बच्चो को वाहनो में ठूस-ठूस कर भरने की प्रवृति, यातायात नियमो को ताक पर रखकर वाहनो का चलाना और वाहनो का नियमो के प्रतिकुल होना सब किसी न किसी दूर्घटना का कारण है। अतः आपको निदेश दिये जाते है कि आप अपने-अपने कार्यक्षेत्र में संचालित समस्त निजी स्कूल प्रमुखों को स्कूल में पढ़ रहे छात्रो की सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित बिन्दूओं पर दिशा निर्देश जारी करें।

1. बस के पीछे और सामने की तरफ स्कूल बस लिखा होना चाहिए।
2. यदि बस किराये पर ली गई हो तो बस में "स्कूल ड्यूटी" स्पष्ट रूप से इंगित किया गया होना चाहिए।
3. बस में हमेशा फस्ट एड बॉक्स होना चाहिए।
4. बस में काम करने की स्थिति में आग बुझाने वाला यंत्र होना चाहिए।
5. स्कूल प्रबन्धन प्रत्येक स्कूल बस में कम से कम एक प्रशिक्षित महिला गार्ड/परिचारक को भी सुनिश्चित करेगा, जो बस में यात्रा के दौरान छात्रों की देखभाल करेगा और यात्रा के दौरान उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और बोर्डिंग और डी-बोर्डिंग में छात्रों की सहायता करेगा।
6. स्कूल बस के प्रत्येक चालक के पास भारी वाहन चलाने का न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और उसके विरूद्ध यातायात अपराधों के सन्दर्भ में कोई शिकायत दर्ज न हो।
7. स्कूली बच्चो की सुरक्षा के सन्दर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, मानव संसाधन विकास मन्त्रालय व केन्द्रिय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किये गये निर्देशो का पालन सुनिश्चित करना।
8. स्कूल लाने व ले जाने वाले वाहनो में overloading न करने तथा यातायात नियमो का पालन।
9. यदि छात्रों की आयु 12 वर्ष से कम है तो वाहन/बस में छात्रों की संख्या वाहन की निर्धारित क्षमता से डेढ़ गुना से अधिक नहीं होगी। 12 वर्ष से अधिक आयु के छात्र को एक व्यक्ति माना जायेगा।

यदि स्कूली बच्चों को परिवहन सुविधा प्रदान करने हेतु निजी ऑपरेटरों द्वारा निजी मोटर कैब/मेक्सी कैब/वेन आदि का उपयोग किया जाता है तो:-

1. मोटर कैब/मेक्सी कैब/वेन आदि के पीछे और सामने स्पष्ट रूप से "स्कूल ड्यूटी" लिखा होना चाहिए।

स्कूल प्रबन्धन को चालक का नाम/पता और वाहन का विवरण निकटतम पुलिस स्टेशन और जिला यातायात पुलिस से देना अनिवार्य होगा।

3. वाहन चलाते समय चालक के पास वैध ड्राईविंग लाइसेंस होना चाहिए।

4. पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों को वाहन की अगली सीट पर बैठने की अनुमति नहीं होगी।

5. चालक का वर्दी पहनना अनिवार्य होगा। उसकी नेम प्लेट वर्दी पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होनी चाहिए।

6. स्कूल जाने व ले जाने वाले वाहनों में overloading न करना तथा यातायात नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

7. यदि छात्रों की आयु 12 वर्ष से कम है तो वाहन/बस में छात्रों की संख्या वाहन की निर्धारित क्षमता से डेढ़ गुना से अधिक नहीं होगी। 12 वर्ष से अधिक आयु के छात्र को एक व्यक्ति माना जायेगा।

अतः समस्त निजी स्कूल प्रमुखों को उक्त सन्दर्भ में दिशा निर्देश जारी करें तथा कृत कार्यवाही से इस निदेशालय को भी अवगत करवाएं।

… उच्चतर …

05 FEB 2020

संo शिक्षा निदेशक उच्चतर (महाविo)
हिमाचल प्रदेश।